



## कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(भ्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: [www.epfindia.gov.in](http://www.epfindia.gov.in), [www.epfindia.nic.in](http://www.epfindia.nic.in)



फाइल सं. एचआरडी-II/65/2025/एपीएआर/2024-25/1477

दिनांक: 06 जनवरी 2026

सेवा में,

सभी अपर कें.भ.नि.आयुक्त(मुख्यालय)/ निदेशक (पीडीनास)  
सभी अपर कें.भ.नि.आयुक्त(अंचल)  
अपर कें.भ.नि.आयुक्त(प्र.से.प्र.), मुख्यालय/अपर कें.भ.नि.आयुक्त(आं.प्र.सं.)  
सभी क्षेत्र.भ.नि.आ/ क्षेत्रीय कार्यालयों/जिला कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी

**विषय:** स्पैरो के माध्यम से वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की तैयारी/पूर्णता की समयसीमा में संशोधन के संबंध में।

**संदर्भ:**

- I. मुख्यालय के दिनांक 26.08.2025 के परिपत्र सं.एचआरडी-II/65/2025/एपीएआर/2024/1407
- II.. मुख्यालय के दिनांक 22.09.2025 के परिपत्र सं.एचआरडी-II/65/2025/एपीएआर/2024-225
- III. मुख्यालय के दिनांक 01.10.2025 के परिपत्र सं.एचआरडी-11/65/2025/एपीएआर/2024-25/1431\_शुद्धिपत्र
- IV. मुख्यालय के दिनांक 06.11.2025 के परिपत्र सं.एचआरडी-II/65/2025/एपीएआर/2024-25/13517
- V. मुख्यालय के दिनांक 28.11.2025 के परिपत्र सं.एचआरडी-II/65/2025/एपीएआर/2024-25/14031
- VI. मुख्यालय के दिनांक 17.12.2025 के परिपत्र सं.एचआरडी-II/65/2025/एपीएआर/2024-25/14469

1. दिनांक 17.12.2025 के परिपत्र के तारतम्य में है, जिसमें स्पैरो के माध्यम से वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) प्रस्तुत करने की समयसीमा को संशोधित किया गया है।

5. वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न एपीएआर गतिविधियों को पूरा करने हेतु उपर्युक्त संशोधित समयसीमा का सख्ती से पालन करने का निदेश दिया जाता है।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी )

  
(उदय गुप्ता)  
क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-॥ (एचआरडी-॥)

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त(एनडीसी) को वेब पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि (ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से) सूचनार्थ:

2. कें.भ.नि.आ., वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सचिव।

  
(उदय गुप्ता)  
क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-॥ (एचआरडी-॥)